

पत्र संख्या ईडीएन/केजीआर/जीसीटीई/स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट /2018 - 1278-87 माध्यम: मेल/FAX

प्राचार्य कार्यालय

राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला,
धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि.प्र.)

दूरभाष न० 01892-223140 फ़ैक्स न० 01892-222575

ई-मेल: gctedharamshala-hp@nic.in

दिनांक: 01/10/2018

धर्मशाला

अक्तूबर, 2018

सेवा में

उप निदेशक (उच्च शिक्षा)

जिला चंबा, काँगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल और स्पीती (हि.प्र.)

विषय: 30th अक्तूबर, 2018 से 2nd नवम्बर, 2018 तक स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल पांच पी0जी0टी0 / व्याख्याताओं (स्कूल) को चार दिवसीय “Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptations” के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजने बारे।


उपरोक्त विषय पर जी.सी.टी.ई. धर्मशाला के संदर्भ में आप से निवेदन है की आप अपने जिले से केवल पांच सरकारी स्कूलों के पी0जी0टी0 / व्याख्याताओं (स्कूल) को उपरोक्त चार दिवसीय इन-सर्विस ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) में हेतु आवश्यक रूप से राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला में भेजे तथा उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची निदेशक, उच्चतर शिक्षा, शिमला-01 ID:dhe-sml-hp@gov.in एवम् प्राचार्य, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला के कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा व मेल ID: gctedharamshala-hp@nic.in पर निर्धारित दिनांक से पूर्व अवश्य रूप से भी प्रेषित करे।

उपरोक्त ट्रेनिंग के दौरान प्रतिभागी के ठहरने की व्यवस्था महाविद्यालय के फ़ैकल्टी हाउस में की गई है। फ़ैकल्टी हाउस में ठहरने हेतु अग्रिम बुकिंग एवम् प्रोग्राम की अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय के दूरभाष नंबर 01892-223140 (कार्यालय) से सम्पर्क कर सकता है। फ़ैकल्टी हाउस में ठहरने हेतु प्रतिभागी अपना मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण भी साथ लाये।

सभी प्रतिभागी अपने बैंक अकाउंट की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें प्रतिभागी का बैंक खाता नं., IFSC कोड व बैंक ब्रांच का नाम अंकित हो, को ट्रेनिंग के दौरान महाविद्यालय के कार्यालय में अवश्य रूप से जमा करवाएं ताकि प्रतिभागी के टीए/डीए का भुगतान नियमानुसार सीधे प्रतिभागी के बैंक अकाउंट में डाला जा सके।

पंजीकरण हेतु सभी प्रतिभागी निर्धारित तिथि (30th अक्तूबर, 2018) को ठीक प्रातः 9.50 पर शिक्षा महाविद्यालय के सेमीनार रूम में रिपोर्ट करेंगे।

नोट: पी0जी0टी0 / व्याख्याताओं (स्कूल) जिसने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत कोई ट्रेनिंग ना ली हो उन्हें भेजने हेतु प्राथमिकता देवे।



प्राचार्य

राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
धर्मशाला

प्रतिलिपि धर्मशाला दिनांक:

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), शिक्षा विभाग, शिमला-2 की सेवा में आवश्यक सूचना हेतु।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, शिमला-1 की सेवा में आवश्यक सूचना एवम् निवेदन सहित शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु
3. प्राचार्य, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 (SCERT), सोलन (हि प्र) की सेवा में आवश्यक सूचना हेतु
4. गार्द फाइल



प्राचार्य

राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
धर्मशाला